

23.09.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री उमेश पटेल उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। रेस्पॉडेन्ट संख्या दो से सात के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलांत की मूल अपील निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(अक्षय चौधरी)

जिला कलक्टर,सिरोही